न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1388/2026

नौबतपुर थाना कांड संख्या—658/2023

1. राजेश प्रकाश सिन्हा पिता स्व0 गुरू प्रकाश सिन्हा
साकिन—फ्लैट सं0—1बी0, हरिहर अपार्टमेंट,नागेश्वर कॉलोनी,
थाना—बुद्धा कॉलोनी, जिला—पटना।

—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री विश्व ज्योति कुमार , अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

03.08.2026 नौबतपुर थाना कांड संख्या—658/2023 धारा—420,467,468,471,120बी.,506 भा0द0वि0 से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि हमलोगों का भूमि खाता सं0—138, प्लॉट सं0—28, रकबा—09 डिसमिल मौजा—जफरा भगवानपुर की भूमि की फर्जी रजिष्ट्री सिरियल सं0—1633 दिनांक—06.02.2021 के साजिशन शांति देवी पत्नी इन्दुभूषण त्रिपाठी के द्वारा राजेश प्रकाश सिन्हा के हक में फर्जी के आधार पर मेरी जमीन पर पत्थर गाड़कर कब्जा करने का प्रयास किये। हमलोगों के द्वारा मौके पर बुलाये जाने पर मोबाईल पर दिलीप सिंह अनाप—सनाप बोलने लगे तथा धमकी देते हुये जानमाल की भी स्थिति तक आ गये। अंततः दिलीप सिंह के द्वारा क्रेता राजेश प्रकाश सिन्हा से अपने हक में तथा एक गुंजा देवी पत्नी कमलेश कुमार साहु के हक में कराकर मेरी भूमि से मुझे बेदखल करना चाहता है और मेरी समस्त भूमि को हड़पना चाहता है। उचित कार्रवाई की जाए।

सुना। मूल अभिलेख, दाखिल कागजात व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित शांति देवी द्वारा फर्जी केबाला कर देने का आरोप है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूरी प्रकरण जाली, दस्तावेजी, मूल्यवान प्रतिभूति का दाबा करनेवाले दस्तावेज के जालसाजी करने से संबंधित है। अभियुक्त पर आरोप है कि कुटरचित कर दस्तावेजों को छल करने के लिये इस्तेमाल किया गया है। यह भी विदित है कि गिफ्ट डीड दो विराधाभाषी उपहार विलेख से संबंधित है। कारित अपराध अत्यधिक सामाजिक प्रकृति का है।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1388 / 2026
नौबतपुर थाना कांड संख्या—658 / 2023

लगातार
03.08.2026

अवएव मामले के तथ्यों को देखते हुये अभियुक्त राजेश प्रकाश सिन्हा को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।